न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी –श्री रणछोड़ लाल, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन सं. 66/2024
अन्तर्गत धारा 136 रा.भू.रा.अ.

अनवान

प्रार्थी – 1. दिनेश कुमार पुत्र शोभाराम जाति सुथार निवासी जाखड़ो का तला (कितनोरिया) तहसील धनाऊ

बनाम

विप्रार्थीगण – 1. किशनाराम 2. रामाराम 3. सामाराम पि. शोभाराम जाति सुथार निवासी जाखड़ो का तला (कितनोरिया) तहसील धनाऊ, बाड़मेर
4. व्यवस्थापक एस.बी.बी.जे बैंक शाखा भुणिया तहसील धनाऊ
5. तहसीलदार धनाऊ जिला बाड़मेर

अधिवक्तागण – प्रार्थी वकील – श्री हासम खान
विप्रार्थीगण वकील – श्री पवन धारीवाल विप्रार्थी सं. 1 से 3

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 17.02.2026

प्रार्थी के आवेदन का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जाकाश्त की भूमि मौजा समो की बस्ती, पटवार हल्का कितनोरिया, तहसील धनाऊ, जिला बाड़मेर में खसरा संख्या 602/247 रकबा 5.9893 हैक्टेयर का आया हुआ है। उक्त आराजी का प्रार्थी संयुक्त तौर से कादीमी से लगान अदा करते आ रहे है तथा गिरदावरी भी संयुक्त तौर से प्रार्थी के नाम तज्वीज होती आ रही है। लिपिकीय भूल से प्रार्थी के नाम इन्द्राज प्रविष्ठि करते वक्त प्रार्थी दिनेश [illegible] शोभाराम का नाम लिपिकीय भूल से भगाराम पुत्र शोभाराम लिख दिया गया जो लिपिकीय भूल से लिखा गया है। प्रार्थी दिनेश कुमार का कभी भी भगाराम नाम नहीं रहा तथा न ही भगाराम नाम [illegible] प्रार्थी के कोई भाई या परिवार का सदस्य नही था। प्रार्थी के मतदाता परिचय पत्र, राशनकार्ड, जन आधार कार्ड इत्यादि समस्त दस्तावेजो में नाम दिनेश कुमार दर्ज है। लिपिकीय भूल से भगाराम लिखा गया है जो राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती योग्य है। प्रार्थी का नाम गलत इन्द्राज होने से प्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranchhod Lal
Date: 2026.03.24 20:13:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

को किसान केडिट कार्ड बनाने, फसल बीमा प्राप्त करने अन्य कई कठिनाईयो का सामना करना पड़ता है। प्रार्थी का नाम लिपिकीय भूल से दर्ज नाम भगाराम की जगह वास्तविक नाम दिनेश कुमार शुद्ध करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम का पेश कर इस्तदुआ चाही गई है।

प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी सं. 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता श्री पवन धारीवाल द्वारा वकालतनामा मय इकबाली जवाब पेश किया। तथा प्रकरण में तहसीलदार धनाऊ से नाम दुरस्ती की रिपोर्ट मंगवाई गई। प्रार्थी के नाम दुरस्ती की तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। शेष विप्रार्थी सं. 4 व 5 को नोटिस जरिये रजि. डाक से भेजे हुए पर्याप्त समय बावजूद विप्रार्थीगण अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में तहसीलदार धनाऊ द्वारा उक्त वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी का नाम भगाराम के स्थान पर दिनेश कुमार दुरूस्त किये जाने बाबत् रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार धनाऊ से प्राप्त मौका रिपोर्ट पर प्रार्थी अधिवक्ता बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा मौका रिपोर्ट को स्वीकार किया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व प्रस्तुत तहसीलदार धनाऊ से प्राप्त मौका रिपोर्ट का अध्ययन अवलोकन किया गया। पत्रावली पर सलंग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया। जिसके आधार पर स्पष्ट होता है कि प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करने योग्य है।

अतः प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 RLR Act का स्वीकार किया जाकर मौजा समो की बस्ती, पटवार हल्का कितनोरिया, तहसील धनाऊ, जिला बाड़मेर में खसरा संख्या 602/247 रकबा 5.9893 हैक्टेयर में दर्ज भगाराम के स्थान पर दिनेश कुमार नाम दुरस्त करने का आदेश दिया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 17.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। संख्या से एक कम हो।

उपखण्ड अधिकारी चौहटन

Signature Not Verified

Digitally signed by Ranchhod Lal
Date: 2026.03.24 20:13:43 IST
Reason: SelfAttested

(रणछोड़ लाल)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन